

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ 12/50-182

जयपुर, दिनांक: 14/2/13

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

**विषय:—** विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

विभाग द्वारा समय समय पर आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता व अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

इस क्रम में विभाग द्वारा छः चरणों में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु परियोजनाओं का चयन करते हुये अब तक कुल 221 बाल विकास परियोजनाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर.टी.ई. पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

विभाग के कई उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत चयनित परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं द्वारा सक्षम स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं होने, स्वयं सहायता समूहों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा पोषाहार गुणवत्तापूर्ण नहीं होने एवं अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों को उल्लेखित करते हुये केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निदेशालय को पूरक पोषाहार की मांग प्रेषित की जा रही है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभागीय निर्देशों की भावनाओं के विपरीत है।

माननीया मंत्री महोदया एवं शासन सचिव महोदया द्वारा उक्त स्थिति को गम्भीरता से लिया गया है। अतः जिन परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था असफल रही है, उनके संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में परियोजनावार सूचना सहित संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित समीक्षा बैठक में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करें—

प्रारूप

परियोजना का नाम .....

जिला .....

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1	विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने की तिथि	
2	विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था असफल होने पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार प्राप्त करने की तिथि	
3	विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था असफल होने के कारण मय दस्तावेज।	
4	स्वयं सहायता समूहों को पुनः जीवित करने के प्रायासों के विवरण तथा अब उन्हें किस प्रकार पुनः जीवित किया जा सकता है।	
5	वर्तमान परिपेक्ष्य में पूरक पोषाहार की व्यावहारिक दर बताये, जिस पर स्वयं सहायता समूह द्वारा पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति की जा सके।	

6	स्वयं सहायता समूहों को बैंक से किस प्रकार से लिंक किया जा सकता है जिससे स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें एवं अन्य सुझाव।	
7	स्वयं सहायता समूहों को भुगतान समय पर हो सके इस संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत टिप्पणी। यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उस संबंध में सुझाव।	
8	दिनांक 31.03.2013 तक पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्ययोजना	
9	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने एवं सफलता पूर्व चलाने हेतु अन्य सुझाव।	

उक्त सूचना के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

संलग्न:- बैठक कार्यक्रम

Sd.  
निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर।

क्रमांक: एफ.4(1)( )पोषा / S.H.G. / मबावि / 2009 / 19183-283 जयपुर, दिनांक: 14-2-13  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (शिशु) मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक (SHG), महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. डा. ललित दाधीच, उप निदेशक (एसएचजी), महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (मो.) मुख्यालय।
8. परामर्शदा (गुणवत्ता एवं उन्नयन), मुख्यालय।
9. उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, मुख्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी (पोषाहार), मुख्यालय।
12. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी .....
13. केयर टेकर, मुख्यालय।
14. केयर टेकर, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Sd.  
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राज. जयपुर।

## कार्य शाला / बैठक का कार्यक्रम

स्थान:- सभा कक्ष, महिला अधिकारिता विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर

दिनांक	समय	क्र. सं.	जिला	कुल चयनित परियोजनाएँ	असफल परियोजनाओं की संख्या	विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था में असफल परियोजनाओं के नाम
18.02. 2013	प्रातः 10.30 से दोपहर 01.30 बजे तक	1	जयपुर	12	9	आमेर, फागी, दूदू-II (मोजमाबाद), जयपुर-iv, जयपुर-i , जयपुर-ii, जयपुर-iii, सांगानेर-शहरी , जमवारामगढ़,
		2	दौसा	6	6	दौसा-ग्रामीण, सिकराय, बांदीकुई, दौसा-शहर, बांदीकुई-II, महुवा
		3	सीकर	6	6	सीकर-शहर, फतेहपुर-शहर, खण्डेला, नीमकाथाना, सीकर-II, पिपराली
		4	झुन्झुनू	5	5	झुन्झुनू-ग्रामीण, सूरजगढ़, चिडावा, नवलगढ़, झुन्झुनू-शहर
		5	अलवर	8	5	उमरैण, बानसूर, बहरोड़, अलवर-शहर, कोटकासिम
		6	अजमेर	6	1	अराई
		7	टोंक	7	6	अलीगढ़, मालपुरा, टोंक-ग्रामीण, टोंक-शहर, देवली, टोडारायसिंह
		8	नागौर	6	3	डीडवाना-शहर, जायल, डीडवाना ग्रामीण
		9	भीलवाड़ा	6	2	माण्डलगढ़, हुरडा
	दोपहर 02.00 से सांय 05.00 बजे तक	10	भरतपुर	7	6	कुम्हेर, डीग, सेवर, नदबई, नगर पहाडी, बयाना
		11	सवाई माधोपुर	6	5	गंगापुरसिटी-ग्रामीण, स.माधोपुर-ग्रामीण, बामनवास, गंगापुरसिटी-शहरी, खण्डार
		12	धौलपुर	5	5	बाड़ी, बसेडी, धौलपुर-ग्रामीण, धौलपुर-शहर, राजाखेडा
		13	करौली	5	3	सपोटरा, हिण्डौनसिटी-ग्रामीण, हिण्डौनसिटी-शहर
		14	बीकानेर	8	8	कोलायत, लूणकरणसर, बीकानेर-शहर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर-ग्रामीण, नोखा-II (देशनोख) बीकानेर-II (खाजूवाला)
		15	श्रीगंगानगर	6	6	सूरतगढ़, रायसिंहनगर, सार्दुलशहर, पदमपुर, अनूपगढ़-II (घडसाना), श्रीकरणपुर
		16	हनुमानगढ़	7	0	-
		17	चूरू	7	3	सुजानगढ़-ग्रामीण, सरदारशहर-ग्रामीण, चूरू-शहर
19.02. 2013	प्रातः 10.30 से दोपहर 01.30 बजे तक	18	कोटा	5	3	सांगोद, ईटावा, लाडपुरा
		19	बारां	7	5	किशनगंज, छीपा बडौद, अटरू, छबडा, शाहबाद
		20	झालावाड़	7	5	झालरापाटन, खानपुर, बकानी, मनोहरस्थाना, झालावाड़-शहर
		21	बूंदी	5	5	बूंदी-शहर, तालेडा, केशवरायपाटन, हिण्डोली, नैनवा
		22	उदयपुर	14	2	कोटडा, लसाडिया,
		23	चित्तौड़गढ़	7	1	भोपालसागर,
		24	डूंगरपुर	8	2	सीमलवाडा, सीमलवाडा-II (चिखली)
		25	राजसमंद	8	6	राजसमंद-ग्रामीण, कुम्भलगढ़, आमेट, भीम, राजसमंद-शहर, देवगढ़
	दोपहर 02.00 से सांय 05.00 बजे तक	26	प्रतापगढ़	5	0	-
		27	जोधपुर	8	4	बिलाडा, शेरगढ़, ओसियां-II (बावडी), ओसियां
		28	सिरोही	6	4	सिरोही-ग्रामीण, पिण्डवाडा, रेवदर, शिवगंज
		29	जालौर	6	5	आहोर, रानीवाडा, सायला, सांचौर-II (चितलवाना), जसवन्तपुरा
30		बाड़मेर	12	9	सिवाणा, सिणधरी, बाड़मेर-ग्रामीण, बायतू-II (सवाउ पदमसिंह), चौहटन-II (सेडवा), धौरीमन्ना-II (गुढामालानी), सिणधरी-II (नोखडा), शिव-II (गडरारोड), बायतू	
31		जैसलमेर	3	3	जैसलमेर, पोकरण, सम	
32		पाली	7	4	सोजत, खारची, पाली-ग्रामीण, देसूरी	
योग				221	137	